न्यामूर्ति महिंदर सिंह सुल्लर के समक्ष

हरचरण सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

सतविंदर सतारा,-उत्तरदाता

Crl.M. सं. 2010 का एम-18643

3 जनवरी, 2012

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 467,468 और 120-बी-भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908-धारा 82-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882-धारा 44 और 45-भा.दं.सं. की धारा 40,52,79 और 80 और पंजीकरण अधिनियम की धारा 82 के तहत दर्ज शिकायत के आरोपों को रद्दकरना-सह-हिस्सेदार-दीवानी मुकदमा लंबित-अभियुक्त/याचिकाकर्ता ने दीवानी मुकदमे में पेश नहीं हुए नहीं दी-अपना हिस्सा बेच दिया-यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि वह मामला जिसमें अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति के विवाद शामिल है।

को कानूनी रूप से आपराधिक कार्यवाही का विषय बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे एक अस्तित्वहीन डिक्री को निष्पादित करने के लिए शॉर्ट-कट विधि के रूप में अपनाया जा सकता है-यह विवाद का विषय नहीं है कि सिविल और आपराधिक अदालतों का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से अलग है-जो मामला सीधे तौर पर सिविल अदालत के दायरे में आता है, उसे आपराधिक अदालत में समानांतर कार्यवाही में फिर से सक्रिय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि अब यह कानून का अच्छी तरह से तय सिद्धांत है कि मामला, जिसमें अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति का विवाद शामिल है, को

कानूनी रूप से आपराधिक कार्यवाही का विषय बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसका उपयोग एक अस्तित्वहीन डिक्री को निष्पादित करने के लिए एक शॉर्ट-कट विधि के रूप में किया जा सकता है।यह विवाद का विषय नहीं है कि दीवानी और आपराधिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से अलग और एक दूसरे से अलग है।जो मामला पूरी तरह से दीवानी अदालत के दायरे और अधिकार क्षेत्र में आता है, उसे कानूनी रूप से आपराधिक अदालत में समानांतर कार्यवाही में फिर से सक्रिय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि अब यह कानून का अच्छी तरह से तय सिद्धांत है कि मामला, जिसमें अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति का विवाद शामिल है, को कानूनी रूप से आपराधिक कार्यवाही का विषय बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसका उपयोग एक अस्तित्वहीन डिक्री को निष्पादित करने के लिए एक शॉर्ट-कट विधि के रूप में किया जा सकता है।यह विवाद का विषय नहीं है कि दीवानी और आपराधिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से अलग और एक दूसरे से अलग है।जो मामला पूरी तरह से दीवानी अदालत के दायरे और अधिकार क्षेत्र में आता है, उसे कानूनी रूप से आपराधिक अदालत में समानांतर कार्यवाही में फिर से सक्रिय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(पैरा 18)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि संयुक्त संपत्ति में उनके हिस्सों से निपटने के लिए अनुचित आपराधिक कार्यवाहियों की शुरुआत के माध्यम से नहीं लिया जा सकता है।संयुक्त भूमि का आनंद लेने का सह-हिस्सेदार का अधिकार एक सिविल अधिकार है।इस तरह के अधिकार को किसी न किसी कारण से अन्य सह-भागीदारों द्वारा आपराधिक शिकायतें लाकर भी खतरे में नहीं डाला जा सकता है।इसी तरह, सिविल अधिकार को लागू करने के लिए आपराधिक कार्यवाही का सहारा नहीं लिया जा सकता है।यदि शिकायतकर्ता, किसी भी तरह से, याचिकाकर्ताओं की दीवानी कार्रवाई से व्यथित है, तो उस स्थिति में, वह दीवानी अदालत में अपनी शिकायत का निवारण कर सकता है, अन्यथा नहीं।

(पैरा 19)

एस. एस. दिनारपुर, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं की ओर से

अनिल क्षेत्रपाल, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

न्यामूर्ति महेंद्र सिंह सुल्लार (मौखिक)

(1) वर्तमान याचिका में शामिल और अभिलेख से निकलने वाले तथ्यों, जिनका मुख्य विवाद पर निर्णय लेने के सीमित उद्देश्य के लिए उल्लेख की आवश्यकता है, का परिप्रेक्ष्य यह है कि याचिकाकर्ता-हरचरण सिंह, जगजीत सिंह और सविंदर सिंह, नई दिल्ली के निवासी, उनके

भाई प्रीतम सिंह और बहनें प्रकाश कौर और हरजीत कौर, सतविंदर सतारा पुत्र दलजीत सिंह -प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के बेटे (संक्षिप्त रूप से "शिकायतकर्ता"), बनारसी लाल, संदीप कुमार और श्रीमती निर्मल 173 कनाल 2 मरला संयुक्त भूमि, जो यमुना नगर जिले की जगाधरी तहसील के गांव राजपुर में स्थित है, के सह-मालिक/सह-हिस्सेदार थे।यह दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता ने स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के लिए, याचिकाकर्ताओं और अन्य सह-हितधारकों को उनके शेयरों से अधिक या विशिष्ट भाग को हस्तांतरण करने से रोकने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था।निचली अदालत ने अपने दिनांक 16.10.2006 (अनुलग्नक पी-4) के आदेश के माध्यम से पक्षों को कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और प्रकाश कौर और हरजीत कौर (उसमें प्रतिवादी Nos.5 और 6) को किसी भी विशिष्ट खसरा संख्या को हस्तांतरण करने से रोक दिया गया, हालांकि, उन्हें इसमें अपने हिस्सों को हस्तांतरण करने की स्वतंत्रता दी गई थी।याचिकाकर्ताओं को दीवानी मुकदमा में पेश **नहीं** हुए थे।उन्होंने मुकदमा की जमीन में अपने शेयर बनारसी लाल, संदीप कुमार और श्री मति निर्मल विक्रेताओं को 13.11.2006 दिनांकित पंजीकृत बिक्री-विलेख (अनुलग्नक आर -1) के माध्यम से बेच दी थी जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"हम, हरचरण सिंह, जगजीत सिंह और सविंदर सिंह पुत्रान हरनाम सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी 44, पूसा रोड, नई दिल्ली; और गाँव राजपुर, उप तहसील सढौरा, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर में स्थित निम्नलिखित भूमि के बराबर मालिक हैं:

भूमि खेवत No.285, खतौनी No.332, खसरा Nos.6//20/2 (1-3), 21/1 (3-14), 7// 16/1 (4-18), 16/2 (2-0), 24 (7-4), 25 (8-0) और 9// 3 (2-2), 9// 4/2 (5-16), 5 (8-0), 6 (7-7), 7 (5-14) और 21// 1/4 (3-6), 2 (7-5), 8 (0-0) I1), 9(5-19), 10(8-0), 11/3(4-0), 21//12(7-14), 13/1(1-15), 13/2(2-16), 14(0-13), 17/3(6-2), 18(8-0), 19/1(4-0), 21//19/2(2-7), 20(7-14), 21/1(0-17), 21/3 (1-13), 22(8-0), 23(8-0), 24/1(2-18), 21//24/3(1-12), 22//6/2(5-0), 7/2(4-10), 14/2(2-2), 15(7-10), 16/1(2-12), 27//3/1(2-18), कुल किला 38, कुल भूमि 173 कनला 2 मरला-3/8वां हिस्सा 64 कनाल 19 मरला के बराबर है जो गाँव राजपुर, एच. बी. No.152, उप तहसील सढौरा, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर में स्थित है। 2001-02 की जमाबंदी अनुसार वे इसके मालिक व काबिज है।

उपरोक्त भूमि सभी शुल्कों और बाधाओं से मुक्त है।न तो कोई रोक है और न ही कोई मुकदमा लंबित है और हमें उपरोक्त संपत्ति को बेचने का पूर्ण अधिकार है।अब हम स्वतंत्र इच्छा और इच्छा के बिना और घरेलू खर्चों के लिए और संपत्ति की खरीद के लिए धन की आवश्यकता के कारण, 64 कनाल 19 मरला की उपरोक्त भूमि को प्रवेश और निकास के सभी अधिकारों सहित Rs.75 00,000/- जिसका आधा हिस्सा 37,50,000/- होते है को बनासी लाल पुत्र बूटा राम के पक्ष में वासी हाउस No.15, कश्मीर कॉलोनी, जगाधरी 640/1299 हिस्से 32 कनाल के बराबर है; और संदीप कुमार पुत्र घनश्याम दास, वासी जैसिको कॉलोनी, जगाधरी 226/1299 हिस्से, जो 11 कनाल 6 मरला के बराबर है श्री मति निर्मल पत्नि सतीश कुमार वासी बवाना रोड जगाधरी जिला यमुनागर-433/1299 हिस्सा 21 कनाल 13 मरला और 64 कनाल 19 मरला भूमि का

कब्जा जो खसरा संख्या 6//20/2(1-3), 21/1(3-14), 7//16/1(4-18), 16/2(2-0), 24(7-4), 25(8-0), 9//3(2-2), 4/2(5-16), 9//5(8-0), 6(7-7), 7(5-14), 22//7/2(4-10), 14/2(2-2), 16/1(2-9 2-12) का कब्जा जो एक पारिवारिक विभाजन में हमारे हिस्से और कब्जे में आया है, वास्तव में खरीदारों के पक्ष में मौके पर वितरित किया गया है।अब खरीदार ऊपर उल्लिखित भूमि के मालिक बन गए हैं।हम या हमारे किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी का उपरोक्त संपत्ति में कोई अधिकार, या हित नहीं है।विक्रेताओं को जो भी अधिकार उपलब्ध थे, उन्हें खरीदारों को हस्तांतरित कर दिया गया है।यदि स्वामित्व में किसी दोष या किसी कानूनी दोष के कारण उपरोक्त भूमि को कब्जा खरीदारों के हाथों से चला जाता है, तो कोई नुकसान होता है, हम, विक्रेता और हमारी संपत्तियां और हमारे कानूनी उत्तराधिकारी सभी खर्चों और नुकसान के लिए उत्तरदायी रहेंगे।ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार कुल बिक्री मूल्य प्राप्त कर लिया **कुछ** लेना बाकि नहीं है। उत्परिवर्तन दर्ज किया जाएगा या खरीदार वर्तमान बिक्री विलेख के आधार पर इसे दर्ज करा सकते हैं और हमे कोई आपत्ति नहीं होगी।

बिक्री विलेख का खर्च खरीदारों द्वारा वहन किया गया है।बिक्री विलेख 64 कनाल 19 मरला की भूमि के संबंध में सत्यापित करने वाले गवाहों की उपस्थिति में लिखा गया है, ताकि इसका उचित समय पर उपयोग किया जा सके।"

(2) शिकायतकर्ता ने बिक्री-विलेख (अनुलग्नक आर-1) के साथ समाधान न किया और याचिकाकर्ताओं और उनके विक्रेताओं के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 467,468 और 120-बी के तहत और भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 82 (जिसे इसके बाद "पंजीकरण अधिनियम"के रूप अन्य बातों के साथ साथ संदर्भित किया जाएगा) के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील देते हुए कि दीवानी मुकदमे की विचाराधीनता और अंतरिम आदेश बिक्री-विलेख के पंजीकरण के समय आरोपी की जानकारी में था, लेकिन

उन्होंने गलत तरीके से उल्लेख किया है कि कोई दीवानी मुकदमा लंबित नहीं है, न ही किसी अदालत द्वारा कोई रोक दी गई है।शिकायतकर्ता के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने बिक्री-विलेख में विशिष्ट खसरा संख्या को शामिल किया है और उल्लेख किया है कि कोई दीवानी मुकदमा लंबित नहीं है, न ही किसी अदालत से कोई रोक है, इसलिए उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 467,468 और 120-बी (संक्षेप में "आई. पी. सी".) और पंजीकरण अधिनियम की धारा 82 के तहत दंडनीय अपराध किया है। ऐसा होने पर, शिकायतकर्ता ने इस संबंध में याचिकाकर्ताओं और उनके विक्रेताओं के खिलाफ आक्षेपित आपराधिक शिकायत (अनुलग्नक पी-1) दायर की।

(3) शिकायत का संज्ञान लेते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ने अभियुक्त को दिनांक 01.12.2009 (अनुलग्नक पी-3) के विवादित समन आदेश के आधार पर इंगित अपराध के मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया।

(4) याचिकाकर्ता-अभियुक्त आदेश से संतुष्ट नहीं थे और धारा 482 Cr.P.C के प्रावधानों के तहत विवादित शिकायत (अनुलग्नक पी-1) और समन आदेश (अनुलग्नक पी-3) को रद्द करने के लिए वर्तमान याचिका को दायर की।

(5) याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामला, संक्षेप में, जहां तक प्रासंगिक है, यह था कि उन्होंने कोई विशिष्ट हिस्सा/खसरा संख्या नहीं बेची और उन्होंने केवल बिक्री-विलेख (अनुलग्नक आर-1) के माध्यम से विवादग्रस्त संयुक्त भूमि में अपने हिस्सों का हस्तांतरण किया। वे न तो मुकदमे में शामिल हुए थे और न ही बिक्री-विलेख के पंजीकरण के समय दीवानी मुकदमे/स्थगन आदेश की विचाराधीनता होने की जानकारी थी।शिकायतकर्ता के बारे में कहा कि उसने उनकी बहनों प्रकाश कौर और हरजीत कौर के ज्ञापन/ मुख्तारी अधिकार जाली बनाई है और दीवानी मुकदमे में पेश की है, जबकि वे अदालत द्वारा जारी सम्मन के अनुसरण

में कभी पेश नहीं हुए, जो कि हरजीत कौर के हलफनामे (अनुलग्नक पी-5) से स्पष्ट है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार न तो उन्होंने अपने शेयरों से अधिक भूमि बेची है और न ही कोई विशिष्ट हिस्सा/खसरा संख्या बेची है।ऐसा कोई कानून नहीं है, जो

किसी सह-हिस्सेदार को अपना हिस्सा बेचने और कब्जा हस्तांतरण करने से रोक सके।भूमि में उनके अधिकारों को विक्रेताओं को हस्तांतरित कर दिया गया था और ऐसे सभी अधिकारों को विक्रेता/सह-हिस्सेदार को उपलब्ध कराया गया था।बिक्री के बाद, भरतू बनाम राम सरूप (1) मामले में इस अदालत के पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार हुए, विशिष्ट खसरा/किला नंबरों के संदर्भ की परवाह किए बिना, पूरे संयुक्त खेवट में एक सह-हिस्सेदार/संयुक्त मालिक से एक विक्रेता क्रेता के समान अधिकार का हकदार होगा।याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ गलत आरोप लगाया है।

(6) विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए और घटनाओं के क्रम का वर्णन करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हालांकि भा.दं.सं. की धारा 467,468 और 120-बी के तहत और पंजीकरण अधिनियम की धारा 82 के तहत उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन शिकायतकर्ता ने एक झूठी शिकायत दर्ज की, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अवैध रूप से उन्हें विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-3) के माध्यम से मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया है।उपरोक्त आरोपों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त तरीके से विवादित शिकायत (अनुलग्नक पी-1) और समन आदेश (अनुलग्नक पी-3) को रद्द करने के लिए वर्तमान याचिका दायर की।

(7) शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का खंडन किया और याचिका की स्थिरता और वाद हेतु समर्थ कारण की कुछ प्रारंभिक आपत्तियों को लेते हुए जवाब दायर किया।जवाब की पूरी सामग्री को पुनः प्रस्तुत आदेश के बजाय और पुनरावृत्ति से बचने के लिए, यह कहना पर्याप्त है कि शिकायतकर्ता ने अपने दावे को दोहराया है, जैसा कि शिकायत में अनुरोध किया गया है (अनुलग्नक पी-1)।हालाँकि, यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि उन्होंने (शिकायतकर्ता) याचिका में निहित अन्य सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और इसे खारिज करने का अनुरोध किया है।इस तरह, मैं इस मामले में उलझा हुआ हूं।

(8) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, उनकी बहुमूल्य सहायता के साथ रिकॉर्ड को देखने के बाद, पूरे मामले पर विचार करने के बाद, मेरे विचार में, तत्काल याचिका इस संदर्भ में स्वीकार की जानी चाहिए।

---

(1) 1981 पी. एल. जे. 204

(9) यहाँ जिस बात पर संभवतःविवाद नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता बिक्री से पहले विवादग्रस्त भूमि में सह/संयुक्त मालिक थे।उनके पास हर अधिकार और टाईटल है और उन्होंने पंजीकृत बिक्री-विलेख के आधार पर संयुक्त भूमि में अपने शेयरों को विक्रेताओं को हस्तांतरित कर दिया।बिक्री-विलेख (अनुलग्नक आर-1) की सामग्री के खाली अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने कोई विशिष्ट हिस्सा नहीं बेचा है, लेकिन उन्होंने कानून के अनुसार मुकदमा भूमि में पात्रता के अनुसार अपने शेयर बेचे हैं।

(10) जैसा कि स्पष्ट है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 44 (संक्षेप में "आई. डी. 1") यह अभिनिर्धारित करती है कि जहां अचल संपत्ति के दो या दो से अधिक सह-मालिकों में से एक जो कानूनी रूप से सक्षम है ऐसी संपत्ति के अपने हिस्से या उसमें किसी भी हित का हस्तांतरण करता है, तो स्थानांतरिती ऐसे हिस्से या हित के रूप में प्राप्त करता है, और जहां तक हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है, स्थानांतरिती का संयुक्त अधिकार या संपत्ति के अन्य सामान्य या आंशिक आनंद का अधिकार, और उसी के विभाजन को लागू करने के लिए, लेकिन हस्तांतरण की तारीख को प्रभावित करने वाली शर्तों और देनदारियों के अधीन, इस तरह से हस्तांतरित शेयर या हित।

(11) तदनुसार, सम्पति हस्तांतरण अधिनियम के धारा 45 में आगे कहा गया है कि जहां अचल संपत्ति को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मूल्य के लिए

हस्तांतरित किया जाता है और इस तरह के प्रतिफल का भुगतान उनकी सामान्य निधि से किया जाता है, तो वे, विपरीत, अनुबंध की अनुपस्थिति में, ऐसी संपत्ति में उतने हिस्से के हकदार हैं, जितने वे सामन्य निधि में क्रमशः हकदार थे और, जहां इस तरह के प्रतिफल का भुगतान क्रमशः उनसे संबंधित अलग-अलग निधियों से किया जाता है, तो वे अनुबंध की अनुपस्थिति में, क्रमशः उस प्रतिफल के शेयरों के अनुपात में ऐसी संपत्ति में हिस्से के हकदार हैं जो उन्होंने क्रमशः खरीद में लगाए।

(12) इन प्रावधानों और विक्रय विलेख (अनुग्रक आर-1) के संयुक्त और सार्थक अध्ययन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई बिक्री किसी विशिष्ट खसरा संख्या की बिक्री नहीं थी, बल्कि संयुक्त भूमि में शेयरों की बिक्री थी और विक्रेता उसी अधिकार और क्षमता में बिक्री के बाद संयुक्त भूमि में सह-मालिक बन जाएगा।

(13) जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने कोई विशिष्ट हिस्सा नहीं बेचा और पंजीकृत बिक्री-विलेख (सलग्रक आर-1) के माध्यम से संयुक्त संपत्ति में हकदारी के अनुसार कानूनी रूप से अपने हिस्सों को विक्रेताओं को बेच दिया।

इसलिए, वर्तमान परिस्थितियों में भा.दं.सं. धारा 467,468 और 120-बी के तहत दंडनीय कोई भी अपराध करने का सवाल ही नहीं उठता।

(14) जहां तक पंजीकरण अधिनियम के तहत अपराध का संबंध है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 81 में यह परिकल्पना की गई है कि इस अधिनियम के तहत नियुक्त प्रत्येक पंजीकरण अधिकारी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपने कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर इसके प्रावधानों के तहत प्रस्तुत या जमा किए गए किसी भी दस्तावेज का समर्थन, प्रतिलिपि, अनुवाद या पंजीकरण करने का आरोप लगाया गया है, वह ऐसे दस्तावेज का समर्थन, प्रतिलिपि, अनुवाद या पंजीकरण इस तरह से करता है जिसे वह जानता है या गलत मानता है, जिससे वह किसी भी व्यक्ति को भा.दं.सं. में परिभाषित नुकसान पहुंचा सकता है या इसकी संभावना हो सकती है। तो उसे कारावास की सजा हो सकती है जो सात साल तक

की या जुरमाना या दोनों हो सकती है। भा.दं.सं. की धारा 44 के अनुसार, "चोट"शब्द किसी भी व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में अवैध रूप से किए गए किसी भी नुकसान को दर्शाता है।

(15) इतना ही नहीं, पंजीकरण अधिनियम की धारा 82 के अनुसार, जो कोई भी जानबूझकर कोई गलत बयान देता है, चाहे वह शपथ पर हो या नहीं, और चाहे वह इस अधिनियम के निष्पादन में कार्य कर रहे किसी अधिकारी के समक्ष दर्ज किया गया हो या नहीं, इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही या जांच में; या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से व्यक्त करता है, और इस तरह के कल्पित चरित्र में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है, या कोई स्वीकारोक्ति या बयान देता है, या कोई सम्मन देना या कमीशन जारी करने का कारण बनता है, या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही या जांच में कोई अन्य कार्य करता है, वह इस धारा के तहत दंडनीय होगा।

(16) अर्थात्, एक व्यक्ति पर पंजीकरण अधिनियम की धारा 81/82 के तहत केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है, जब उसमें निहित सभी आवश्यक तत्व पूर्ण हों अन्यथा नहीं, जिनकी वर्तमान मामले में पूरी तरह से कमी है।तत्काल मामले में, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ केवल आरोप यह है कि उन्होंने बिक्री-विलेख में विशिष्ट खसरा संख्या को अवैध रूप से शामिल किया है और उल्लेख किया है कि कोई दीवानी मुकदमा लंबित नहीं है, न ही अदालत से कोई रोक है और न ही कुछ और।कुछ भी सामग्री कम या ज्यादा नहीं है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ताओं को या तो उन्हें मुकदमे में शामिल किया हो या उन्हें प्रासंगिक समय पर दीवानी मुकदमा विचाराधीनता होने की जानकारी थी।यहां तक कि हलफनामे (अनुलग्नक पी-5) के अवलोकन से भी पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर (प्रतिवादी संख्या 6) के जाली हस्ताक्षर किए हैं और वास्तव में किसी भी प्रतिवादी को कभी भी दीवानी मुकदमे में पेश नहीं किया गया था।

(17) इसके अलावा, आपराधिक अपराध को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता को यह दिखाने की आवश्यकता है कि बिक्री-विलेख के पंजीकरण के समय अभियुक्त का धोखाधड़ी और बेईमान इरादा था।हाथ में मामले में वही बुरी तरह से गायब है।प्रासंगिक समय पर दोषपूर्ण इरादे की अनुपस्थिति में में, यह संभवतःनहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने भा.दं.सं. की धारा 40,52,79 और 80 के प्रावधानों को देखते हुए कोई अपराध किया है, जैसा कि उनके खिलाफ आरोप लगाया गया है।

(18) इस मामले का एक और पहलू है जिसे एक अलग कोण से देखा जा सकता है।यदि आक्षेपित शिकायत (अनुलग्नक पी-1) की सामग्री के सार पर विचार किया जाता है, तो यह विशुद्ध रूप से सिविल विवाद को जन्म देता है।अब यह कानून का अच्छी तरह से तय सिद्धांत है कि मामला, जिसमें अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति का विवाद शामिल है, को कानूनी रूप से आपराधिक कार्यवाही का विषय बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसका उपयोग एक गैर-मौजूद डिक्री को निष्पादित करने के लिए एक संक्षिप्त विधि के रूप में किया जा सकता है।यह विवाद का विषय नहीं है कि दीवानी और आपराधिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से अलग और एक दूसरे से अलग है।जो मामला पूरी तरह से दीवानी अदालत के दायरे और अधिकार क्षेत्र में आता है, उसे कानूनी रूप से आपराधिक अदालत में समानांतर कार्यवाही में फिर से सक्रिय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।चूँकि एक ही विषय वस्तु के संबंध में मुकदमों के बीच दीवानी मुकदमा पहले से ही लंबित है, इसलिए शिकायतकर्ता को कानूनी रूप से आपराधिक अभियोजन की आड़ में विवादित शिकायत के माध्यम से उसी विवाद को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।अन्यथा, अनुचित मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा और यह इस प्रासंगिक संबंध में याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय होगा।

(19) सबसे बढ़कर, संयुक्त संपत्ति में अपने हिस्सों से निपटने के याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को अनुचित आपराधिक कार्यवाही शुरू करके खत्म नहीं किया जा सकता है।संयुक्त भूमि का आनंद लेने का सह-हिस्सेदार का

अधिकार एक सिविल अधिकार है।इस तरह के अधिकार को किसी न किसी कारण से अन्य सह-भागीदारों द्वारा आपराधिक शिकायतें लाकर भी खतरे में नहीं डाला जा सकता है।इसी तरह, इस तरह के सिविल अधिकार को लागू करने के लिए आपराधिक कार्यवाही का सहारा नहीं लिया जा सकता है।यदि शिकायतकर्ता, किसी भी तरह से, याचिकाकर्ताओं की दीवानी कार्रवाई से व्यथित है, तो उस स्थिति में, वह दीवानी अदालत में अपनी शिकायत का निवारण कर सकता है, अन्यथा नहीं।जो भी हो, मेरे विचार से, शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तुच्छ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस तरह के आपराधिक अभियोजन की शुरुआत और निरंतरता कुछ भी नहीं है, बल्कि आपराधिक कानून की प्रक्रिया का सरासर और पूर्ण दुरुपयोग है।इसी तरह, समन करने वाले मजिस्ट्रेट ने इन महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया है

और याचिकाकर्ताओं को बहुत ही नियमित तरीके से आरोपी के रूप में तलब किया, जो कानूनी रूप से अनुमत नहीं है।इसलिए, मेरे अनुसार, विवादित शिकायत (अनुलग्नक पी-1) और समन आदेश (अनुलग्नक पी-3) मामले की परिस्थितियों में दरकिनार करने योग्य हैं।

(20) पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विचारणीय कानूनी बिन्दु का आग्रह या दबाव नहीं किया।

(21) उपरोक्त कारणों के आलोक में और गुण-दोष पर आगे कुछ भी टिप्पणी किए बिना, ऐसा न हो कि यह दीवानी मुकदमे के दौरान दोनों मुकदमा पक्षों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है।आक्षेपित शिकायत (अनुलग्नक पी-1) और समन आदेश (अनुलग्नक पी-3) को निरस्त कर दिया जाता है।नतीजतन, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को इस प्रासंगिक पक्ष में आपराधिक अभियोजन से मुक्त कर दिया जाता है।

(22) यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि, यहाँ ऊपर देखी गई कोई भी बात, किसी भी तरह से, दीवानी मुकदमा के गुण-दोष को प्रतिबिंबित नहीं करेगी,

क्योंकि इसे तत्काल याचिका पर निर्णय लेने के सीमित उद्देश्य के लिए दर्ज किया गया है।

1886/एच. सी. आई. एल. आर.-सरकार। प्रेस, यू. टी., सीएच. डी.

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)